मुख्य सचिव, बिहार-सह-अध्यक्ष, कार्यकारी समिति बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक-20.05.2016 को 4.00 बजे अपराह्न में मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में बिहार विकास मिशन के कार्यकारी समिति की सम्पन्न तृतीय बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः- पंजी के अनुसार

कार्यावली संख्या-01

कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की दिनांक-07.04.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-02

दिनांक- 07.04.2016 को कार्यकारी समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत हैः-

(क) **कार्यावली संख्या-3** के अनुपालन में बिहार विकास मिशन के नव आवंटित नियोजन भवन, पटना के सातवें तल्ला एवं टेरास पर कार्यालय तथा अन्यान्य हेतु निर्माण कार्य हेतु अधियाचित राशि रु०3,03,57,000/- RTGS के माध्यम से भवन निर्माण विभाग द्वारा कराए गए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया गया है।

निर्णय :-अनुमोदित। साथ ही निदेशित किया गया कि नियत समय में भवन निर्माण विभाग (बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०) उक्त कार्य को पूर्ण कर ले।

(ख) **कार्यावली संख्या-4** के अनुपालन में Selection of an agency for development of financial, Procurement and administrative delegation Policy, Manuals, guidelines, procedures and design of e- procurement system for the Bihar Vikas Mission के RFP की सम्पुष्टि एवं उसके निष्पादन हेतु समिति गठित की जा चुकी है।

निर्णय :-अनुमोदित।

(ग) **कार्यावली संख्या-5** के अनुपालन में बिहार विकास मिशन में पदस्थापित/कार्यरत/चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि/ मानदेय सहित मिशन कार्यालय के साज-सज्जा (फर्निचर, वाहन, साधित्र सहित) एवं नवगठित बिहार विकास मिशन के विभिन्न मदों में वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु प्रस्तावित बजट को बिहार विकास मिशन नियमावली की कंडिका-9(12) के आलोक में बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की आगामी बैठक में स्वीकृति/अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

निर्णय :-अनुमोदित।

(घ) **कार्यावली संख्या-6** के अनुपालन में बिहार विकास मिशन नियमावली के कंडिका-14(7) के आलोक में कार्यकारी समिति हेतु उपमिशन वार कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हेतु संबंधित उप मिशन द्वारा अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन पावर प्वांइट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से कार्यावली संख्या 11 में किया जा रहा है।

निर्णय :-कार्यावली सं०-11 के साथ अवलोकित।

(ङ) **कार्यावाली संख्या-7** के अनुपालन में विभिन्न विभागों द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन विचारार्थ संलग्न है। जिन विभागों द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया गया है, उन्हें पुनः स्मारित किया जा चुका है।

निर्णय :-जिन विभागों द्वारा अभी तक प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, उनके संबंध में यह माना जाय कि उन्हें विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं है एवं अन्य विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन पर अग्रतर कार्रवाई की जाय।

(च) **कार्यावली संख्या-8** के अनुपालन में तत्काल, पथ निर्माण विभाग द्वारा एक वरीय लेखा लिपिक को प्रतिनियुक्त किया गया है, परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस कार्य हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में पदस्थापित कर बिहार विकास मिशन में प्रतिनियुक्त किए गए एक सहायक को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अभी तक विरमित नहीं किया गया है। बिहार विकास मिशन की लेखा विवरणी Tally में तैयार करने हेतु Tally के जानकार लेखापाल को राशि रु 30,000/- के मानदेय पर नियोजन करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

निर्णय :-अवलोकित।

<u>कार्यावली संख्या-3</u>

जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के संचालन हेतु योजना एवं विकास विभाग द्वारा प्राप्त संदर्भित अधियाचना के आलोक में अधियाचित पदों के सृजन, नियोजित होने वाले बल की संख्या उनके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-अनुभव एवं मानदेय निम्नवत हैं:-

SN	Position	No. of Post	Minimum Educational Qualification	Professional Experience	Specific Expertise	Amounts
1	Manager	38	MBA/PGDM	Minimum of 5 years of Experience at managerial Level	Not less than 5 years of experience in managing programs at managerial level. Proficiency in IT will be preferred.	80,000

2	Assistant Manager, Projects and Accounts	38	MBA/PGDM	Minimum of 3 years of Experience in Managerial/ Supervisor Level	Not less than 5 years of experience in managing programs at managerial/supervisory level. Proficiency in IT will be preferred.	60,000
3	Assistant Manager, Schemes	152	MBA/PGDM	Minimum of 3 years of Experience in Managerial/ Supervisor Level	Not less than 5 years of experience in managing programs at managerial/supervisory level. Proficiency in IT will be preferred.	60,000
4	Supervisor, IT	38	B.E/B.Tech/BSc. (Engg.) in Computer Science and Engineering/ Information Technology	Not essential	Experience in IT sector with exposure to hardware will be preferred.	40,000
5	Single Window Operator	1577	DCA or Equivalent Diploma	Not essential	Should have proficiency in IT sector.	17,000
6	Multipurpose Assistant	152	DCA or Equivalent Diploma	Not essential	Proficiency in handling accounts will be preferred, knowledge of TALLY will be given extra weightage.	17,000

इन पदों के सृजन की स्वीकृति एवं उक्त हेतु विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों पर बिहार विकास मिशन के नियमावली की कंडिका-14(4) के आलोक में अध्यक्ष कार्यकारी समिति का आदेश प्राप्त है। इस पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्रस्तावित है।

उक्त स्वीकृति/अनुमोदन के पश्चात् नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुमोदित आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए क्रम 1 से 3 तक के पदों के लिए बिहार विकास मिशन द्वारा NIC से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् Common Merit List एवं Final Selection List बनाया जायेगा। उक्त कार्य हेतु विज्ञापन प्रारूप (क्रमांक 1 से 3) चयन समिति द्वारा अनुमोदित है। क्रमांक 4 से 6 के पदों का चयन BSEDC द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् मिशन द्वारा उनका नियोजन किया जाएगा। इस पर समिति का अनुमोदन प्रार्थित है।

निर्णय :- निदेशित किया गया कि क्रमांक-5 एवं 6 पर वर्णित पदों पर चयन समेकित रूप से करते हुए क्रमांक-6 वाले पदों के लिए Tally का प्रशिक्षण BSEDC द्वारा चयन के बाद किया जाएगा। उक्त चयन हेतु आवश्यक योग्यता हेतु "Tally" की जानकारी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। बल्कि क्रमांक-6 पर वर्णित पद के लिए वांछित संख्या के अनुरूप चयनित कर्मियों को BSEDC द्वारा Tally का प्रशिक्षण अलग से दिया जाएगा। तदोपरांत ही चयनित सूची BSEDC द्वारा मिशन को प्रेषित की जाएगी। इस संशोधन के साथ प्रस्ताव स्वीकृत।

कार्यावली संख्या-4

DFID से बिहार विकास मिशन को सहयोग हेतु राशि रू०- 10 करोड़ (समाज कल्याण विभाग से 2.5 करोड़, स्वास्थ्य विभाग से 3.5 करोड़ एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से 4.00 करोड़) का व्यय वर्ष 2016-17 में किया जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (शासी विभाग) से वर्ष 2015-16 के लिए 5.00 करोड़ रूपया (वेतनादि के अलावा मद में) प्राप्त हुआ है, जिससे वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त वर्ष 2016-17 में व्यय किया जा रहा है।

बिहार विकास मिशन अन्तर्गत माह मार्च 2016 एवं अप्रैल 2016 (10 अप्रैल तक) में हुए व्यय की विवरणी अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ संलग्न है।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-5

बिहार विकास मिशन के कार्यों को पूर्णतः कम्प्यूटर आधारित किया जाना है। मिशन हेतु 12 डाटा इंट्री ऑपरेटरों का पद पूर्व से स्वीकृत है, जिसमें से 10 डाटा इंट्री ऑपरेटर कार्यरत है । मिशन के कार्यों की अधिकता/नये नियोजनों एवं RFP तथा स्थापना संबन्धी कार्यों को करने हेतु सदस्य सचिव कार्यालय में बाह्य स्रोत से 10 डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं 01 (एक) IT Manager का संविदा आधारित पद का अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिए सृजन की स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-6

बिहार विकास मिशन अन्तर्गत स्थापना/वित्त संबंधी कार्यों हेतु पर्याप्त कार्यबल के अभाव तथा बिहार विकास मिशन हेतु नियोजन की कारवाई के उपरांत मिशन के कार्यबल के स्थापना कार्यों तथा मिशन के वित्तीय कार्यों एवं नियोजन संबंधी कार्यों के निष्पादनार्थ सदस्य सचिव कार्यालय में 5 सहायकों का पद (वेतन बैंड- 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600) की स्वीकृति का प्रस्ताव है। साथ ही

इन स्वीकृत पदों पर सामान्य प्रशासन के माध्यम से पदस्थापन किया जाएगा या सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देश के आलोक में सेवानिवृत्त सहायकों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार नियोजित किया जाएगा।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-7

बिहार विकास मिशन में कार्यालय परिचारी हेतु 5 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में सदस्य सचिव कार्यालय में सदस्य सचिव के अतिरिक्त 3 विशेष कार्य पदाधिकारी एवं मिशन निदेशक कार्यालय में मिशन निदेशक के अतिरिक्त 7 उप-मिशन निदेशक एवं 2 विशेष कार्य पदाधिकारी कार्यरत हैं। कार्यालय परिचारी का स्वीकृत पद अपर्याप्त होने के कारण कार्यहित में बाह्य स्रोत से 10 कार्यालय परिचारी की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रार्थित है।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-8

Selection of an agency for development of financial, Procurement and administrative delegation Policy, Manuals, guidelines, procedures and design of e-procurement system for the Bihar Vikas Mission के RFP की सम्पुष्टि एवं उसके निष्पादन हेतु गठित समिति द्वारा अनुमोदित। RFP प्रकाशित की जा चुकी है। प्रकाशित RFP समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखी जा रही है ।

निर्णय :-अनुमोदित।

कार्यावली संख्या-9

पेशेवर वयक्तियों एवं विशेषज्ञों के संविदा पर नियोजन हेतु अनुमोदित RFP के कुल 07 पदों में से निम्न चार पदों का साक्षात्कार दिनांक-26.05.2016 को निर्धारित है:-

(क) Project Lead
(ख) Finance Associate
(ग) Programme Analyst
(घ) Communication Associate, समिति के सूचनार्थ।

निर्णय :-इस संबंध में समिति को सूचित किया गया कि उपरोक्त पदों में से Project Lead के पद को छोड़कर, साक्षात्कार दिनांक- 26.05.2016 को निर्धारित है। शेष पदों के लिए साक्षात्कार जून माह के प्रथम सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा।

कार्यावली संख्या-10

HR Manual के निर्माण के प्रसंग में गठित Tender Finalisation Committee द्वारा वित्तीय निविदा खोली जा चुकी है। निविदा का निष्पादन अंतिम चरण में है। दिनांक- 20.05.2016 तक निविद का निष्पादन संभावित है। अवलोकनार्थ।

निर्णय :-शीघ्र निष्पादन कर कार्य प्रारंभ कराया जाय।

कार्यावली संख्या-11

बिहार विकास मिशन नियमावली के कंडिका-14(7) के आलोक में कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा हेतु संबंधित उप मिशन द्वारा पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

6(i) पेयजल, स्वच्छता,ग्राम एवं नगर विकास उप मिशन

- दिनांक 18.05.2016 को आहूत उच्चस्तरीय बैठक में लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में ज़िक्र करते हुए सूचित गया कि ग्रामीण क्षत्रों में सरकार का निश्चय **"घर तक गली-नलियाँ"** का कार्यान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है | **निश्चय " हर घर नल का जल"** अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रभावित क्षत्रों के जल स्त्रोतों का उपचार करने के साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी | इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पूर्व से 5385 ग्रामीण बसावटों में कार्यान्वित 1077 जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन के साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति की सुविधा भी प्रदान की जायेगी | शेष गैर गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति की सुविधा पंचायती राज विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी | **निश्चय " शौचालय निर्माण ,घर का सम्मान"** का ग्रामीण क्षत्रों में कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जायेगा | इस सन्दर्भ में सम्बंधित विभागों को सरकार के निश्चय अंतर्गत लक्ष्यों की ससमय प्राप्ति हेतु आवश्यकतानुसार तैयारी करने का भी निदेश दिया गया |
- **निश्चय " हर घर नल का जल"** का शहरी क्षत्रों में कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि निर्माणाधीन योजना यथा राज्य योजना मद अंतर्गत 20 नगर निकायों में दिसम्बर, 2016 तक 57,730 घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी | शेष 11 नगर निकायों में भी जून, 2017 तक 40615 घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा प्रदान

की जायेगी | "अमृत योजना" के तहत 9 नगर निकायों में अगस्त, 2016 से कार्य प्रारम्भ होगा जिससे 1,18,632 घरों को पाइप से जलापूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी | शेष स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन भी शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण किया जायेगा |

- जून,2016 से **सभी नगर निकायों में वार्डवार घर-घर का सर्वेक्षण** कर पाइप जलापूर्ति की सुविधा रहित घरों को चिन्हित कर आगामी पांच वर्षों का लक्ष्य निर्धारित कर रणनीति तैयार की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्य में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा |

- **निश्चय " हर घर नल का जल"** की पूर्ति की दिशा में चुनौतियाँ पर चर्चा के क्रम में केंद्रीकृत बोरिंग एवं पाइपलाइन बिछाने हेतु उपयुक्त स्थान की उपलब्धता के अतिरिक्त निश्चय **"घर तक गली-नलियाँ"** अन्तर्गत PCC गली-नाली के निर्माण के पूर्व जलापूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाने पर विशेष ध्यान देते हुए उक्त निश्चयों के कार्यान्वयन में अभिसरण कायम करने का निदेश दिया गया | इस क्रम में नगर निकायों की सीमित क्षमता को दृष्टिपथ रख पाइप जलापूर्ति की बड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद से कराये जाने एवं छोटे अयोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य जल पर्षद के सहयोग से DPR तैयार कराने में नगर निकायों को सहयोग दिए जाने की बात कही गयी |

- शहरी क्षेत्रों में **निश्चय " शौचालय निर्माण ,घर का सम्मान"** के सम्बन्ध में 2015 -16 के लक्ष्य के तहत निर्माणाधीन शौचालयों को पूर्ण कर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्य की प्राप्ति किये जाने की सूचना दी गयी |

- **निश्चय "हर घर बिजली लगातार"** के सम्बन्ध में उर्जा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा 25 जून से सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर सितम्बर माह तक पूर्ण करने, सर्वेक्षण कार्य की सफलता हेतु software तैयार किये जाने एवं निश्चय के सफल एवं कालबद्ध कार्यान्वयन हेतु PMU तथा कार्यान्वयन एजेंसी के चयन हेतु निविदा की प्रक्रिया ससमय पूर्ण किये जाने की सूचना दी गयी |

- **"सभी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण"** के सम्बन्ध में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा उक्त कार्य के सम्पादन हेतु प्रकाशित कतिपय निविदाओं के असफल होने की बात कहे जाने पर पटना में उक्त सुविधा उपलब्ध करने वाली एजेंसी की तरह एजेंसी का चयन करने का निदेश दिया गया | साथ ही कचरा के प्रसस्करण से उर्जा पैदा किये जाने के राष्ट्र स्तर पर प्रयासों में सीमित साफलता प्राप्त होने के आलोक

में कचरा से Compost तैयार करने के विकल्प पर ध्यान दिए जाने का निदेश दिया गया |

- **"मास्टर प्लान सूत्रण"** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि यद्यपि Patna Metropolitan Planning Committee का गठन किया जा चुका है, पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन के फलस्वरूप उद्भूत नए नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु गठन की प्रक्रिया पुनः संचालित की जायेगी | शेष जिला मुख्यालय शहरों के आयोजन क्षेत्र की घोषणा में विलंभ के सम्बन्ध में पूछे जाने पर 12 शहरों के सम्बन्ध में आपत्ति की माँग कर आपत्तियों का समाधान किये जाने की सूचना दी गयी | साथ ही 29 शहरों का GIS enabled Master Plans उपलब्ध रहने एवं शेष शहरों का GIS enabled Master Plans के सूत्रण की दिशा में परामर्शी के चयन हेतु RFP तैयार किया जा रहा है|

- **"पटना मेट्रो रेल परियोजना"** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है किन्तु अनेक विभाग / संस्थान से अनापत्ति की प्राप्ति के क्रम में विलम्ब होने की संभावना है | इस क्रम में परियोजना के सफल कार्यान्वयन हेतु अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु यथा SPV का गठन, वित्तीय संस्थानों के ऋण के तुलनात्मक दरों की समीक्षा तथा परामर्शी एवं तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति,पर अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निदेश दिया गया |

- **"सबके लिए आवास (शहरी)"** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि निर्माणाधीन आवासीय इकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा | वित्तीय वर्ष 2016-17 में 39,000 आवासीय इकाई के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा 30,216 इकाईयों को स्वीकृत किया गया है तथा विभाग द्वारा अतिरिक्त 20,000 इकाईयों को स्वीकृत कराने हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया है | राज्य सरकार द्वारा अपनी भागीदारी स्वरुप उक्त आवासीय इकाईयों के निर्माण में लाभुकों द्वारा स्वयं मजदूरी करने पर मजदूरी मद की राशि का भुगतान करने की दलील को केंद्र सरकार द्वारा ख़ारिजकिये जाने की सुचना दी गयी | इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभाग को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया |

- **"वेंडिंग ज़ोन की स्थापना"** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि 140 नगर निकायों में से 138 नगर निकायों में टाउन वेंडिंग समिति का गठन किया जा चुका है तथा उनके द्वारा 75,588 फूटपाथी दुकानदारों को चिन्हित किया गया है | टाउन वेंडिंग समिति

द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रत्येक नगर निकाय में वेंडिंग ज़ोन के विकास हेतु उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना है | फूटपाथ विक्रेता अधिनियम,2014 अंतर्गत नियमावली का सूत्रण किया जा रहा है जिसे इसी माह में मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त कर अधिसूचित किया जायेगा |

- **"शहर के निकटवर्ती ग्रामीण बसावटों में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराये जाने"** के सम्बन्ध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चार क्लस्टर चयनित किये जाने तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु समेकित क्लस्टर एक्शन प्लान तैयार करने की सूचना दी गयी | इस योजना के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की भूमिका एवं जवाबदेही को स्पष्ट करते हुए क्लस्टर प्लान तैयार करने का निदेश दिया गया |

- **"मनरेगा"** के सम्बन्ध में गत वर्ष राज्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए इस वर्ष भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विशेष प्रयास यथा सतत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया | साथ ही मजदूरों के वेतन के भुगतान में 15 दिनों से अधिक अवधि को घटाने का निदेश दिया गया | इसके अतिरिक्त सामग्री मद में केंद्र सरकार द्वारा आबंटन नहीं विमुक्त करने के कारण राशि के अभाव में सामग्री मद में भुगतान नहीं करने के बिन्दु पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई कर राशि की विमुक्ति हेतु प्रयास करने का निदेश दिया गया|

- **"इंदिरा आवास योजना"** के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) रखा गया है तथा सामान्य एवं IAP जिलों में प्रत्येक लाभार्थी को क्रमशः 1.20 लाख रु. एवं 1.30 लाख रु. देने का प्रावधान है | साथ ही लंबित इकाईयों पर चर्चा के क्रम में सूचित किया गया कि शौचालय निर्माण नहीं पूर्ण होने के फलस्वरूप कतिपय इकाईयों को अपूर्ण प्रतिवेदित किया गया है | अपूर्ण इकाईयों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निदेश दिया गया|

6(ii) युवा उप मिशन

1. <u>जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र (योजना एवं विकास विभाग)</u>

सभी जिलों में 02 अक्टूबर, 2016 से केन्द्र संचालन किया जाना है।निबंधन केन्द्र का ट्रायल रन 15 सितंबर, 2016 को करने का लक्ष्य है। केन्द्र निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 32 जिलों में निविदा कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष 06 जिलों में पुनर्निविदा का प्रकाशन होना है। निबंधन केन्द्र हेतु कर्मियों का चयन जुलाई 2016 तक कर

लिया जाएगा। कर्मियों को चयनित एंजेसी द्वारा 20 अगस्त 2016 से प्रशिक्षण दिया जायेगा। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि निबंधन केन्द्र हेतु Multi Purpose Assistant तथा Single Window Operator के पदों की योग्यता समान रखी जाए एवं Beltron द्वारा ही अलग से Tally का प्रशिक्षण चयनित कर्मियों को दिया जाए। प्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधक की नियुक्ति NIC के माध्यम से बिहार विकास मिशन द्वारा किया जाएगा। हार्डवेयर की आपूर्ति हेतु सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा बताया गया कि अभी तक इस संबंध में Requisition प्राप्त नही हुआ है। इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग को अविलम्ब Requisition देने का आदेश दिया गया।

स्वयं सहायता भत्ता (योजना एवं विकास विभाग)

जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना के बाद इस योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ होगा। इस हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र तैयार कर लिया गया है। योजना का प्रचार-प्रसार जुलाई-अगस्त 2016 से शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा योजना एवं विकास विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि इस योजना के तहत एक हजार रू0 प्रति माह की दर से सहायता भत्ता की राशि उन्ही बेरोजगार युवकों को दी जाएगी जो प्रखंड स्तर पर संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें।

2. **स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (शिक्षाविभाग)**

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु आवेदन प्रपत्र SLBC की सहमति से तैयार कर लिया गया है। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जिलों को अबिलंव दिशा निदेश जारी करने हेतु शिक्षा विभाग को निदेश दिया गया।

3. **प्रत्येक प्रखंड में भाषा संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान (श्रम संसाधन विभाग)**

इस निश्चय हेतु आनलाईन आवेदन प्रपत्र तैयार कर लिया गया है। प्रशिक्षण देने हेतु Knowledge Partner का चयन एवं योजना का आनलाईन मोनिटरिग हेतु वेब पोर्टल निर्माण 15 जुलाई 2016 तक कर लिया जाएगा। विभाग द्वारा बताया गया कि कुल 534 के विरूद्ध 347 प्रखंड़ों में केन्द्र निर्माण हेतु स्थल चयन कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि अविलंब सभी प्रखंड़ों में भूमि चयन कर निर्माण कार्य शुरू किया जाय। जहाँ भूमि उपलब्ध नही हो वहाँ लीज(पट्टा) पर जमीन लेकर निर्माण कार्य शुरू किया जाए। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जिलों को अबिलंव दिशा निदेश जारी करने हेतु श्रम संसाधन विभाग को निदेश दिया गया।

सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (श्रम संसाधन विभाग)

वर्तमान में 16 जिलों में महिला आई0 टी0 आई0 कार्यरत है। जिसमें निजी भवन में संचालित सभी09 जिलों में भवन निर्माण कार्य हेतु स्थल चयन कर लिया गया है।

अररिया(फारबिसगंज) एवं सुपौल में कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। शेष जिलों में अगस्त 2016 तक कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 07 नये जिलों में महिला आई0 टी0 आई0 के भवन निर्माण हेतु 06 जिलों में स्थल चयन कर लिया गया है, जमुई में स्थल चयन करना है। विभाग को निदेश दिया गया कि केन्द्र के संचालन हेतु मानव बल (Man Power) एवं उपकरण (equipment) की व्यवस्था एवं अन्य की उपलब्धता के लिए समानान्तर व्यवस्था की जाए, ताकि भवन निर्माण विभाग के बाद सत्र प्रारंभ करने में कठिनाई न हो।

4. <u>प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी आई0 टी0 आई0 का निर्माण (श्रम संसाधन विभाग)</u>

पूर्व से संचालित 47 अनुमंडलों में 22 में भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना है जिसमें 15 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है,शेष 07 में भूमि चयन की कार्रवाई जारी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 18 नये अनुमंड़लों में आई0 टी0 आई0 के भवन निर्माण के संबंध में बताया गया कि 03 अनुंमड़लों में भूमि उपलब्ध है। शेष 15 अनुमंडलों में अगस्त 2016 तक भूमि चिन्हित एवं कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है। केन्द्र के संचालन हेतु मानव बल (Man Power) एवं उपकरण (equipment) एवं अन्य की उपलब्धता के लिए समानान्तर व्यवस्था की जाए, ताकि भवन निर्माण विभाग के बाद सत्र प्रारंभ करने में कठिनाई न हो।

5. <u>सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)</u>

वर्तमान में कुल 38 लक्ष्य के विरूद्ध 07 कार्यरत हैं, एवं 2016–17 में 06 निर्माणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करना है एवं सत्र संचालन करना है। सीतामढ़ी में निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है, शेष 05 जिलों में भी शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्षित 06 जिलो में भी स्थल चयन कर लिया गया है 02 जिलों में प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, शेष 04 जिलों मे भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। केन्द्र के संचालन हेतु मानव बल (Man Power) एवं उपकरण (equipment) एवं अन्य की उपलब्धता के लिए समानान्तर व्यवस्था की जाए, ताकि भवन निर्माण विभाग के बाद सत्र प्रारंभ करने में कठिनाई न हो।

6. <u>सभी जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)</u>

वर्तमान में 19 जिलों में पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित है। 08 निर्माणाधीन भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण करना है एवं सत्र प्रारंभ करना है, जिसमें 04 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है,शेष 04 का निर्माण मार्च, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में 05 नये पॉलिटेक्निक संस्थान के निर्माण हेतु 04 जिलों में भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जबकि नवादा में निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। केन्द्र के संचालन हेतु मानव संसाधन(Man Power) एवं उपकरण (equipment) एवं अन्य की उपलब्धता के लिए समानान्तर व्यवस्था की जाए, ताकि भवन निर्माण विभाग के बाद सत्र प्रारंभ करने में कठिनाई न हो।

7. <u>सभी सरकारी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा (सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग)</u>

राज्य के सभी सरकारी 16 विश्वविद्यालयों, 262 महाविद्यालयों,09 चिकित्सा महाविद्यालयों,07 अभियंत्रण महाविद्यालयों,08 कृषि महाविद्यालयों एवं 10 अन्य संस्थानों में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कार्यकारी एंजेसी का चयन जुलाई, 2016 तक कर लिया जाएगा। जनवरी, 2017 तक योजना कार्यान्वयन पूर्ण करने का लक्ष्य है।

8. <u>कौशल विकास मिशन(श्रम संसाधन विभाग)</u>

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों द्वारा 8.80 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इस हेतु 149 पाठ्यक्रम का चयन किया गया है। केन्द्रीयकृत रूप से श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्रशिक्षण एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा, जिसके सहयोग से अन्य विभाग भी अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाऐंगे। निदेश दिया गया कि कौशल विकास मिशन के तहत संचालित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाएगा एवं प्रशिक्षित होने पर प्रमाण–पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाए।

9. <u>नियोजन मेला(श्रम संसाधन विभाग)</u>

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1.01 लाख युवाओं को नियोजित करने का लक्ष्य है। इस हेतु जिला स्तर पर 76, प्रमंडल स्तर पर 09 एवं विश्वविद्यालय स्तर पर 08 नियोजन मेला आयोजित किया जाना है, जो 20.05.2016 से प्रारंभ होगा।

10. <u>डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना(विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)</u>

पटना के मौजा सैदपुर मुसल्लह में 15.5 एकड़ भूमि प्राप्त, अतिरिक्त 4.48 एकड़ भूमि के हस्तांतरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मास्टर प्लान कंसलटेंट नियुक्त हो चुका है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब चहारदिवारी का निर्माण करवाया जाये।

11. <u>राज्य के सभी प्रखंड़ों में आउटडोर स्टेडियम (कला,संस्कृति एवं युवा विभाग)</u>

कुल लक्ष्य 534 के विरूद्ध 89 प्रखंड़ों में आउटडोर स्टेडियम पूर्व से उपलब्ध है। पूर्व से स्वीकृत 153 प्रखड़ों में से 82 में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, शेष 71 में प्रारंभ होना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु लक्षित 60 प्रखंड़ों में स्थल चयन की कार्रवाई जारी है।

12. <u>राज्य के सभी प्रमंड़लों में इनडोर स्टेडियम (कला,संस्कृति एवं युवा विभाग)</u>

सारण प्रमंडल में स्टेडियम निर्माणाधीन है,शेष प्रमंड़लों में पूर्व से ही उपलब्ध है।

13. <u>राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्टस एकेडमी का निर्माण (कला,संस्कृति एवं युवा विभाग)</u>

विभाग द्वारा बताया गया है कि भूमि का अधिग्रहण कई अन्य संस्थाओं के निर्माण के लिए एक साथ किया गया है। उक्त अधिगृहित भूमि में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्टस एकेडमी हेतु भूमि चिन्हित नहीं किया गया है।

14. <u>प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल कोंचिग(कला,संस्कृति एवं युवा विभाग)</u>

कुल लक्ष्य 38 के विरूद्ध पूर्व से 17 आवासीय खेल कोंचिग सेंटर संचालित है, जिसमें निशानेबाजी हेतु संचालित सेंटर में हॉस्टल उपलब्ध नहीं रहने के कारण गैर आवासीय है, परंतु यहाँ भी प्रशिक्षण हेतु राशि आवासीय मद से दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में लक्षित 05 नये सेंटर हेतु 03 विधाओं में 02 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

6(iii) मानव विकास उप मिशन

<u>स्वास्थ्य विभाग:–</u>

सात निश्चय के तहत " **अवसर बढ़े–आगे पढ़ें** " के तहत स्वाथ्य विभाग के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु संबंधित बिन्दु, प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. स्कूल, पारामेडिकल संस्थान, सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में ए.एन.एम. स्कूल की स्थापना एवं राज्य में पाँच और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के संबंध में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि इन सभी संस्थानों के निर्माण हेतु कई जिलों में स्थल चयन कर लिए गए हैं। आगामी माह में इन सभी के लिए निविदा प्रकाशन की कार्रवाई कर दो माह में भवनों के निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया जायेगा। शेष जिले जहाँ अभी तक स्थल चयन नहीं हो सके है, वहाँ संबंधित जिला पदाधिकारी से जमीन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। यह भी जानकारी दी गई कि जहाँ जी.एन.एम./ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, उसके साथ छात्रावास का भी निर्माण किया जाना है।

इस संबंध में निदेश दिया कि नये खुल रहे संस्थानों के लिए Faculty Member, Academic Staff / आधारभूत संरचना/उपस्कर एवं अन्य की उपलब्धता के लिए समानान्तर व्यवस्था की जाए, ताकि भवन निर्माण के बाद सत्र प्रारम्भ करने में कठिनाई न हो।

स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे दवा, एक्स–रे, पैथेलौजी जांच, एम्बुलेंस एवं अल्ट्रासाउण्ड सुविधा पूर्व के वर्षों के अनुरूप शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, ताकि आमजनों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएँ मिल सके ।

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि शीघ्र Outsource के आधार पर एक्स–रे, पैथोलौजी जांच, एम्बुलेंस एवं अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रकाशन करने की कार्रवाई की जा रही है। निविदा Document/ Agreements को स्पष्ट एवं सरल रखा जा रहा है तथा उस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है ताकि कालान्तर में Outsource की सेवा बहाल रखने में व्यवधान उत्पन्न न हो।

शिक्षा विभागः–

शिक्षा विभाग के समीक्षा के क्रम में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन के विरूद्ध उपस्थिति काफी कम रहने पर चिंता व्यक्त की गई और इसमें सुधार करने हेतु आवश्यक निदेश दिया गया।

सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों के शिक्षक नही रहने के कारण समस्या आ रही है। उपलब्ध शिक्षकों के द्वारा भी विद्यालय में उपस्थित नहीं रहने एवं शिक्षण कार्य में रुची नहीं लेने की शिकायतें मिल रही है। इसके लिए उनके स्तर से कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा यह भी बताया गया कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में शिक्षकों को नियोजित करने हेतु परीक्षा शीघ्र आयोजित की जा रही है।

विद्यालयों में शिक्षकों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने के लिए आंतरिक व्यवस्था विकसित करने एवं निरीक्षण प्रपत्र तैयार कर विद्यालयों में नियमित निरीक्षण की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दियाा गया कि वैसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाय जो विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं करते हैं।

मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के कम में वैसे सभी विद्यालयों को चिन्हित कर योजना प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया जहां यह योजना किसी कारण से बन्द है।

समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया किः–

- सभी पेंशनधारियों का डाटा डिजिटाईज्ड कर इसे बैंक खाता से जोड़ते हुए DBT के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जाय,
- मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के तहत चिन्हित किये गये सभी भिक्षुकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभ दिया जाय एवं बुनियाद केन्द्रों एवं ओल्ड एज होम के त्वरित स्थापना एवं संचालन की कार्रवाई की जाय।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया कि–

- निर्माणाधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिआवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों के भवन का शीघ्र निर्माण पूर्ण कराते हुए संचालित किया जाय।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया किः–

- जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालय के निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूर्ण कराते हुए संचालित किया जाय।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया किः–

- अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के निर्माणाधीन योजनाओं को शीघ्र निर्माण पूर्ण कराते हुए इसे संचालित कराया जाय एवं इसका समुचित रख–रखाव की व्यवस्था की जाय।

आपदा प्रबंधन विभाग की योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के कम में निदेश दिया गया किः–

- बेलट्रान द्वारा स्थापित आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को शीघ्र क्रियाशील किया जाय तथा सभी संबंधितों को इस प्रणाली का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाय।

6(iv) उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन

उद्योग विभाग से संबंधित निश्चय "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के तहत् युवाओं के उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट अप कैपिटल फण्ड 500 करोड़ रू0 कागठन एवं इंक्यूवेशन सेंटर की स्थापना की समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा बताया गया कि इस हेतु बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी, 2016 का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया गया है। अब इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु कार्यवाई की जा रही है। इस पॉलिसी को दिनांक 01.07.2016 से लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

उन्होंने यह भी बताया कि बिहार औद्योगिक निवेश नीति–2016 एवं बिहार औद्योगिक निवेश बिल–2016 का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुतीकरण किया गया है। इस पर भी मंत्रिपरिषद से स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।

उपमिशन निदेशक, उद्योग एवं व्यवसाय द्वारा पूर्व की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 एवं 2011 की उपलब्धि की जानकारी दी गई जो इस प्रकार है –

औद्योगिक इकाईयों के लिए SIPB से अनुमोदित कुल 2345 इकाईयों को अनुमोदित किया गया जिसमें कुल सन्निहित राशि 2,19,444 करोड़ रू0 है। इनमें 311 इकाईयों मे वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ एवं 180 इकाईयाँ निर्माणाधीन हैं जिनमें कुल निहित राशि 8050.75 करोड़ रू0 है। परिचालित इकाईयों में फूडप्रोसेसिंग के 172, पावर के 24, स्टील के 24, चीनी मिल के 7 एवं अन्य 84 उद्योग शामिल हैं। अबतक कुल 81273 व्यक्तियों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित ''गन्ना उद्योग एवं गन्ना किसानों का प्रोत्साहन'' के संबंध में जानकारी दी गई कि वर्ष 2015–16 में चीनी मिल प्रोत्साहन योजना के तहत 11 चीनी मिलों को 130.85 करोड़ वितरित किया गया है जो लक्ष्य के अनुरूप 100 प्रतिशत है एवं 2016–17 का लक्ष्य 12 चीनी मिलों के लिए 81.84 करोड़ रू0 दिए जाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से अनुमोदित है। वर्ष 2015–16 में चीनी रिकवरी का लक्ष्य 10 % के विरूद्ध उपलब्धि 9.77% रहा है। चीनी रिकवरी का राष्ट्रीय औसत 10.17% है एवं वर्ष 2016–17 हेतु राज्य का लक्ष्य 10.50% रखा गया है।

वर्ष 2015–16 में बीज विस्थापन दर 28% रहा है एवं वर्ष 2016–17 में 40% लक्ष्य रखा गया है। गन्ना उत्पादकता का राष्ट्रीय औसत 68.8 टन प्रति हेक्टेयर एवं राज्य का औसत 67.04 टन प्रति हेक्टेयर है। वर्ष 2016–17 में 70 टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादकता का लक्ष्य रखा गया है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग के रोड मैप से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने के क्रम में बताया गया कि नई सूचना एवं संचार नीति का निरूपण नई उद्योग नीति के तैयार होने के पश्चात किया जाएगा। वर्ल्ड क्लास आई0टी टावर, पटना के निर्माण हेतु Short term , Mid term एवं Long term हेतु क्रमशः डाकबंगला स्थित विद्यालय निरीक्षिका का कार्यालय परिसर, बंदरबगीचा एवं बिहटा में स्थल चयन कर लिया गया है। बिस्कोमान स्थित टेक्नोलॉजी पार्क का उन्नयन कार्य 9वें एवं 13वें मंजिल पर चल रहा है। 31 नव–उद्यमियों को स्थल आवंटन हेतु चयन किया गया है। फ्री वाई–फाई हॉटस्पॉट का निर्माण, NIT पटना से सगुना मोड़ तक पूर्ण कर लिया गया है जिसमें प्रतिदिन लगभग 4 लाख हिट्स होते हैं एवं 85GB फ्री डाटा का उपभोग किया जा रहा है। 100 सीटों वाला आई0 टी0 इक्युवेशन सेंटर की स्थापना हेतु BIT मेसरा (पटना कैंपस) में स्थल चयन कर लिया गया है। राजगीर में आई0टी0 सिटी का निर्माण हेतु स्थल चिन्हित कर लिया गया है एवं भूमि हस्तांतरण हेतु ADA से अनुरोध किया गया है। आई0आई0टी0 पटना में इक्युवेशन सेंटर निर्माण आई0आई0टी0 पटना द्वारा किया जाना है। इस हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से MOU हस्ताक्षर की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इन्क्युवेशन कोर्स का प्रथम सत्र अगस्त, 2016 से प्रारंभ होगा। 25 करोड़ रूपये का एंजेल (Angel) फंड का गठन नई औद्योगिक नीति बनने के पश्चात किया जाएगा।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा आई0 आई0 आई0 टी0 का निर्माण कार्य किया जाना है। इस हेतु नालंदा जिले में चंडी अंचल के संरथा पंचायत में स्थल चयन किया गया है। 128 करोड़ रू0 का DPR तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। सहमति प्राप्त होने के पश्चात् इस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

पर्यटन विभाग से संबंधित नई प्रोत्साहन नीति का निरूपण नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति तैयार होने के पश्चात किया जाएगा। इस विभाग में पूर्व से संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में बताया गया कि महत्वपूर्ण धरोहरों, धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक

स्थलों को विकसित करने संबंधी पूर्व से कुल 215 योजनायें संचालित है। इनमें पूर्ण 84 योजनाओं की कुल स्वीकृत राशि 78.75 करोड़ के विरूद्ध 68.82 करोड़ रूपया व्यय किया गया है। पूर्ण योजनाओं में मंगल तालाब, पटना सिटी, महेन्द्रु घाट, पटना, खानकाह मुजिबिया, फुलवारी शरीफ, आदि का विकास एवं सौंदर्यीकरण शामिल है। शेष 131 योजनायें निर्माणाधीन हैं जिनकी कुल प्राक्कलित राशि 394.49 करोड़ रूपया के विरूद्ध अब तक व्यय राशि 67.88 करोड़ रूपया है जिसमें खानकाह मुजिबिया, मितन घाट, पटनासिटी, मनेर शरीफ, नालंदा हेरिटेज साईट, नालंदा, घोरा कटोरा, राजगीर, होटल बुद्ध विहार, गया, पत्थर कट्टी, गया, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, बोधगया, ककोलत फॉल, नवादा, बीबी कमाल का मकबरा, जहानाबाद, बाबा महेन्द्र नाथ मंदिर, सिवान आदि के निर्माण एवं विकास से संबंधित योजनायें शामिलहैं।

<u>रज्जु मार्ग की तीन योजनायें :–</u> राजगीर में अतिरिक्त रज्जु मार्ग, मंदार पर्वत, बांका एवं रोहतास गढ़ किला, रोहतास स्वीकृत हुए है, जिनकी कुल स्वीकृत राशि 41.37 करोड़ रूपए हैं। इनके निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रकाशित की गई है। इस वित्तीय वर्ष में उक्ततीनों योजनायें पूर्ण की जाएगी। इसके अतिरिक्त तीन अन्य रज्जु मार्ग की योजनायें–डूंगेश्वरी पर्वत, गया, वाणावार पर्वत, जहानाबाद एवं मुंडेश्वरी पर्वत, कैमूर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित हैं।

6(v) आधारभूत संरचना उप मिशन

➢ आधारभूत संरचना उपमिशन के विचारणीय बिन्दुओं में विकसित बिहार के सात निश्चय में से एक निश्चय यथा **"प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त शेष बचे राज्य के सभी संपर्क–विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ना"** है। प्रस्तुतिकरण के परिप्रेक्ष्य में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना तथा राज्य संपोषित अन्य सम्पर्कता योजनाओं से छूटे हुए बसावटों का सत्यापन कार्य कर लिया गया है। संपर्क पथ से जोड़े जाने हेतु बसावटों के लक्ष्य का निर्धारण कर प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा। सचिव ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा यह जानकारी दी

गई कि विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष (2016–17) में बजट उपबंध घट जाने के कारण लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होगी।

➢ सुशासन के कार्यक्रम के तहत राज्य के सुदूर एवं दुर्गम स्थलों से अधिकतम पाँच घन्टों में राज्य की राजधानी पहूँचने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाकर पथों का निर्माण एवं उन्न्यनीकरण करना एवं तदनुसार यातायात घनत्व के अनुसार आवश्यक संरचना का विकास करने के अन्तर्गत विभाग द्वारा विजन 2020 के अनुरूप कार्य किया जाना है। वर्ष 2016–17 में 58.4 कि0 मी0 पथ का उन्नयन/चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा हैं। इसके साथ ही 30 कि0 मी0 राज्य उच्च पथ का 2 लेन में उत्क्रमण, 295 कि0मी0 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का उन्नयन तथा ग्रामीण कार्य विभाग के 587 कि0 मी0 पथ का हस्तांतरण के पश्चात् उन्नयन कार्य प्रारंभ करना है। इसी तरह **'सुगम यातायात एवं संपर्कता हेतु पथ चौड़ीकरण, पुल/पुलिया तथा फ्लाई ओवर आदि का निर्माण'** 9 महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण कार्य में से एक कच्ची दरगाह (पटना) एवं विदुपुर (वैशाली के बीच 6 लेन एक्स्ट्रा डोज केबुल ब्रिज (अन्य संरचना सहित) को छोड़कर शेष 8 का निर्माण कार्य जारी है।

➢ इस योजना में संवेदक का चयन कर लिया गया है।

➢ पुलों के रख–रखाव हेतु नीति का सूत्रण प्रक्रियाधीन है।

➢ 'बिहार में बिजली की समुचित उपलब्धता के लिए विद्युत उत्पादन की स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना', ' सुदूर क्षेत्र जहाँ ग्रिड से बिजली पहुँचाने में कठिनाई हो वहाँ अक्षय उर्जा के स्रोतों का उपाय कर विद्युत की व्यवस्था करना', 'अक्षय उर्जा के प्रोत्साहन हेतु नई नीति तैयार कर इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ाना', 'विद्युत क्षेत्र में सृजित आधारभूत संरचना के रख–रखाव हेतु नई नीति बनाना', 'बिजली के संरचण एवं वितरण की क्षति में क्रमिक कमी कर इसे राष्ट्रीय औसत तक लाने का प्रयास पूर्ववत् जारी रखना' के अन्तर्गत राज्य में वर्त्तमान में क्रियान्वित की जा रही विद्युत उत्पादन की 9 परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। ये परियोजनाएँ क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इनमें चरणवद्ध तरीके से जून 2016 से व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होना है।

➢ Off Grid विद्युत संपर्कता राज्य के 79 ग्रामों के 20358 परिवारों को उपलब्ध कराने

का लक्ष्य है जिसके लिए DPR तैयार कर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (भारत सरकार) को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। अक्षय उर्जा स्रोतों से वर्ष 2016–17 में कुल 139 MW विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है।

➢ बिजली के संचरण एवं वितरण में हुई क्षति का राज्य का औसत 43% है जिसे 2016–17 में 36%, 2017–18 में 27.5%, 2018–19 में 18.5% तथा 2019–20 तक 15% करने का लक्ष्य है।

➢ भवनों एवं भौतिक संरचना का भूकम्परोधी निर्माण के अन्तर्गत पाँच जिलों में कुल 14 भवनों का रेट्रोफिटिंग किया जाना है। इसके अन्तर्गत पटना जिला में 9, दरभंगा जिला में 2 तथा मधुबनी, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में 1–1 भवनों का रेट्रोफिटिंग किया जाना है। बिहार के जोन IV एवं V में आने वाले सभी 33 जिलों के महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को अगले पाँच वर्षो में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण रेट्रोफिटिंग कराने का लक्ष्य है।

6(vi) कृषि उप मिशन

बीज विस्थापन दर में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु 2015–16 में बीज वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री बीज तीव्र विस्तार कार्यक्रम एवं एकीकृत बीज ग्राम योजना, हरी खाद्य योजना आदि के माध्यम से 5.71 लाख क्विंटल बीज वितरण लक्ष्य के विरूद्ध 2.97 लाख कूल बीज का वितरण हुआ। बीज का वितरण (52%) दर पर दर्ज हुआ। वित्तीय वर्ष 20.06.2017 में 7.21 लाख क्विंटल बीज विभिन्न योजना के अन्तर्गत वितरण का लक्ष्य रखा गया।

बागवानी मिशन के अन्तर्गत सघन रोपन विधि से बाग की स्थापना एवं किसान फेडरेशन का गठन के अन्तर्गत लक्ष्य के विरूद्ध 9: उपलब्धि दर्ज हुई, जबकि जैविक सब्जी क्षेत्र के लक्ष्य के विरूद्ध कोई उपलब्धि प्रदर्शित नहीं हुई। नालंदा, चंडी में सब्जी एवं वैशाली (देसरी) में फल उत्पादन के लिए एक आदेश केन्द्र (Centyre of excellence) विकसित किया जा रहा है, जहाँ वर्ष– 2016–17 से लाभुक किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है।

वर्ष 2016–17 में 9600 अनुसूचित जाति परिवारों को उद्यान की कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 वर्ग मी0 का शेडनेट दिये जाने की योजना है।

जैविक खेती के अन्तर्गत 2015–16 में लक्ष्य के विरूद्ध वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन में 80% जैव उत्पादन 18.5% एवं गोबर गैस युनिट उत्पादन में 50% की उपलब्धि दर्ज हुई।

वर्ष 2016–17 में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन लक्ष्य 1.5 लाख जैव उर्वरक 1.50 लाख हेक्टेयर एवं गोबर/ बयोगैज का 2300 युनीट लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि यंत्रीकरण में गत वर्ष काम्बाइन हार्वेस्टर, पावरडिलर एवं जीरो डिलर को परफॉरमेंस इंडिकेटर में शामिल किया था, उसमें उपलिब्धि क्रमशः 71.05% एवं 30% प्राप्त हुआ, वर्ष – 2016–17 में पावरडिलर के स्थान पर रोटावेयर को परफारमेंस इंडिकेटर में शामील किया गया।

6(vii) लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार उप मिशन

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

शासन में लोक संवाद और लोक भागीदारी को बढ़ावा देने, सरकारी कार्यो/योजनाओं एवं उपलब्धियों के लोक शिक्षण हेतु प्रचार प्रसार तथा जन संपर्क/लोक संवाद के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रिया एवं अनुभव प्राप्त करने हेतु बिहार संवाद समिति का गठन एवं बिहार विज्ञापन (संशोधन) नीति, 2016 का सूत्रण किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी दी गयी कि बिहार संवाद समिति के गठन का प्रस्ताव परामर्श हेतु वित्त विभाग एवं विधि विभाग को भेजा गया था जिसपर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त हो चुकी है। विधि विभाग से परामर्श प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बिहार विज्ञापन (संशोधन) नीति, 2016 का प्रारूप एवं संलेख परामर्श हेतु विधि विभाग को भेजा गया है।

प्रेस क्लब भवन का निर्माण 36 जिलों में किया जाना है जिसमें से 26 जिलो में निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है। सात जिलों में पूर्व से चयनित भूमि में बदलाव तथा दो जिलों में स्थानीय कारणों से भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक निर्माण आरम्भ नहीं हो सका है। अतः शीघ्र भूमि चयन कर कार्य आरंभ करवाने का निर्देश दिया गया।

बिहार पत्रकार पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन के संबंध में जानकारी दी गयी कि पात्रता निर्धारण हेतु स्क्रीनिंग समिति का गठन कर लिया गया है तथा शीघ्र ही इसकी बैठक कर पेंशन हेतु पात्र–पत्रकारों का चयन कर लिया जाएगा।

पत्रकार बीमा योजना अन्तर्गत अभी तक कुल 402 संचार प्रतिनिधियों एवं 876 आश्रितों को आच्छादित किया गया है तथा 12 पत्रकारों को 12.78 लाख का बीमा लाभ प्राप्त हो चुका है। बीमाधारक संचार प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये अंशदान की राशि 6.85 लाख के विरूद्ध विभाग द्वारा 27.43 लाख रूपये वार्षिक बीमा किस्त जमा किया गया है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

विभाग के अंतर्गत कार्यरत पुरातत्व निदेशालय, संग्रहालय निदेशालय एवं सांस्कृतिक कार्य निदेशालयों मे किये जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी देते हुये बताया गया कि आगामी पांच वर्षो के लिये संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए उनके क्रियान्वयन का निदेश दिया गया है। संग्रहालयों के जीर्णोद्धार के संबंध में जानकारी दी गयी कि कुल 23 में से 14 संग्रहालय भवनों एवं 23 दीर्घाओं का जीर्णोद्धार वर्ष 2019–20 तक किया जाना है जिसमें से वर्ष 2016–17 में 5 संग्रहालय भवन एवं 11 दीर्घाओं के जीर्णोद्धार का लक्ष्य है।

बिहार संग्रहालय के निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई कि संग्रहालय का संरचनात्मक कार्य माह अगस्त 2016 तक एवं दीर्घाओं का कार्य दिसंबर 2016 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण हेतु DPR तकनीकि स्वीकृति के लिये भवन निर्माण विभाग को भेजा गया है। योजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश दिया गया। सिताब दियारा सारण में लोकनायक जय प्रकाश नारायण स्मृति भवन–सह–पुस्तकालय में निर्माण कार्य की प्रगति निर्धारित समय सारणी के अनुरूप है तथा माह अगस्त तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

जिला प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों में (पटना को छोड़कर) किया जाना है तथा वर्ष 2017–18 तक दो प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी के निर्माण हेतु दरभंगा एवं सहरसा प्रमंडल में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। वर्ष 2018–19 तथा 2019–20 में प्रति वर्ष तीन–तीन प्रेक्षागृहों का निर्माण का लक्ष्य है।

मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना मधुबनी जिलान्तर्गत रहिका प्रखंड में किया जाना प्रस्तावित है। संस्थान का निबंधन कर लिया गया है तथा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से इसका संबंधन प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना के पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार के संबंध में बताया गया कि पुनरीक्षित वास्तुविदीय नक्शा का अनुमोदन कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को भेजा जा चुका है। शीघ्र कार्यारंभ कराने का निदेश दिया गया।

फिल्म सिटी के निर्माण के संबंध में प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि राजगीर में 20 एकड़ भूमि का चयन किया गया था परन्तु उक्त भूमि को अभी तक चिन्हित/सीमांकित नही किया जा सका है जिसके कारण परियोजना प्रतिवेदन तैयार नही हो सका है।

बिहार राज्य फिल्म प्रोत्साहन नीति का सूत्रण कर उच्च स्तरीय प्रस्तुतीकरण किया गया है जिसमें प्राप्त निदेश के आलोक में संबंधित 9 विभागों से नीति प्रारूप पर मंतव्य मांगा गया था। 8 विभागों से सहमति प्राप्त हो चुकी है जिसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

प्रधान सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले महोत्सवों को आपसी सामंजस्य स्थापित कर एक साथ आयोजित किये जाने से समारोहों का बेहतर प्रबंधन

एवं आयोजन किया जा सकता है। अतः दोनो विभागों को आपस में सामंजस्य स्थापित कर समारोहों का आयोजन करने का निदेश दिया गया।

<u>पर्यटन विभाग</u>

श्री गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के 350वीं प्रकाश पर्व समारोह की तैयारियों के संबंध में बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सिख कॉन्क्लेव के आयोजन हेतु इवेन्ट मैनेजमेंट एजेंसी का चयन किया जा चुका है। दस प्रमुख शहरों मे रोड शो का आयोजन किये जाने हेतु एजेंसी का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। पटना साहिब के विकास से सबंधित

प्रसाद योजनान्तर्गत 41.53 करोड़ के स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध 8.30 करोड़ की राशि प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त किया गया है तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रकाशित गई है।

चंपारण सत्याग्रह के 100वें वर्षगांठ समारोह की तैयारी के संबंध में बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 09.04.2016 को आहूत सर्वदलीय बैठक में प्राप्त सुझावों के आलोक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार प्रस्ताव को अंतिम स्वरूप दिये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

बोधगया में कल्चरल सेंटर के निर्माण के प्रगति के संबंध में पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिहार की पुरातात्विक धरोहरों एवं स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग द्वारा देश के अंदर कुल 13 स्थानों एवं विदेशों में 8 स्थानों पर आयोजित पर्यटन प्रदर्शनी/ट्रेवल मार्ट में भाग लेकर बिहार का प्रतिनिधित्व करने की योजना बनायी गयी है। वर्ष 2016–17 में पर्यटन विभाग द्वारा कुल 27 महोत्सव एवं 3 मेला का आयोजन प्रस्तावित है। राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों एवं धरोहरों के विकास हेतु चिन्हित परिपथों पर पर्यटकीय सुविधा बढ़ाने हेतु योजनाओं को चिन्हित कर उनके कार्यान्वयन का निदेश दिया गया। पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा बनाये गए यात्रा पैकेज के संबंध में जानकारी दी गई कि निगम द्वारा मई 2016 में ककोलत, बोधगया एवं पटना दर्शन हेतु पैकेज टूर आरंभ किया गया है तथा निकट भविष्य में बाल्मीकीनगर के लिए पैकेज टूर के माध्यम से बस परिचालन आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। पर्यटक मार्गदर्शक की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी गयी कि अभी तक 117 पर्यटक मार्गदर्शकों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 24/5/16
सदस्य सचिव

(अंजनी कुमार सिंह)
अध्यक्ष

ज्ञापांकः बि० वि० मि० (बैठक) – 03/2016 155 दिनांक– 25/5/16

प्रतिलिपि :-

माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/ पुलिस महानिदेशक/ सभी प्रधान सचिव/सचिव /मिशन निदेशक/सभी उप मिशन निदेशक/विशेष कार्य पदाधिकारी, सदस्य सचिव कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव
बिहार विकास मिशन